यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी के माह 11/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री सतवीर सहं लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/01/2018 से 27/01/2018 तक में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी की पूर्व लेखापरीक्षा सर्व श्री मनोज कुमार नेगी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एंव श्री मनोज कुमार संह, एंव श्री दिनेश कुमार ध्यानी, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25/11/2016 से 06/12/2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2015 से 10/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी, के अंतर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	मुख्य शीर्ष	आवंटन	व्यय
2015-16	5054 3054 डस्ट्रिक्ट sector	503.73 71.50 542.00	503.73 71.50 222.49
2016-17	5054 3054 डस्ट्रिक्ट sector	1091.90 171.71 300.00	1091.90 171.71 410.40
2017-18(12/2017)	5054 3054 डस्ट्रिक्ट sector	642.41 164.35 156.00	642.41 164.35 196.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **"B"** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता, स्तर-1, लो.नि. व. देहरादून

अधीक्षण अ भयन्ता, 12 वां वृत लो.नि. व., पौडी

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लो.नि. व., पौडी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 को वस्तृत जाँच हेतु एवं जनपद पौडी में कोट मल्ला से कोट तल्ला कंदीय कुलसु रीठाखाल मार्ग का निर्माण 48 मीटर स्पान के सेतु के साथ मार्ग का निर्माण (लंबाई 15.00 कमी) कार्य को वस्तृत वश्लेष्ण हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक..... से..... का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 03/2011 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 12/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - 417480.00

   भाग द् वतीय - ₹ 91872.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 10116604.00

   (ख) सामग्री क्रय –

   (ग) नगद परिशोधन -

   (घ) निक्षेप- ₹ 77642744.00

   (ङ) भण्डार- ₹ 1553887.00

भाग-**II** (अ)

प्रस्तर-1 मार्ग निर्माण में हुए देरी के कारण निर्माण लागत में वृद् धः- `**120.79** लाख।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्याः- 3138/II (2)/06-61 (प्रा0आ0)/ 06 दिनांक 22 नवम्बर 2006 के द्वारा 15 कलोमीटर लंबाई के मार्ग एवं 48 मीटर स्पान के सेतु-निर्माण सहित `337.57 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त निर्माण के लए मुख्य अ भयंता (स्तर-1), गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3625/36(414)/यता-पर्व0/07 दिनांक 31 जुलाई 2007 के द्वारा 14.50 कलोमीटर मार्ग के निर्माण के लए `210.13लाख की प्रा व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रतिवेदन में यह उल्ले खत है क इस आगणन की शेष रा श `122.33 लाख जो सेतु के लए है, की प्रा व धकी स्वीकृति बाद में ली जाएगी और प्रा व धकी स्वीकृति (31 जुलाई 2007) में इस रा श (`122.33 लाख) को शा मल नहीं नहीं कया गया था जिसे रोक रखा गया था। प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ता वत मोटर मार्ग दुधारखाल-रीठाखाल से प्रारम्भ होती है। प्रा व धकी स्वीकृति (31 जुलाई 2007) के द्वारा कमी 1 से 15 तक में मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः इसी मार्ग के दो segment कोटमल्ला से कोटतल्ला के missing link एवं दुधारखाल-कोटा कं डया-कुलासु-रीठाखाल के missing link मोटर मार्ग के निर्माण (पहाड़ कटान एवं स्कपर निर्माण कार्य) (कमी 9.00 एवं कमी 10.00 के cross section 8/0 से 9/20) के लए क्रमशः `56.00 लाख एवं `74.43 लाख (1.5 कलोमीटर लम्बाई) की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति ज़िला योजना के अंतर्गत जिला अ धकारी के पत्र दिनांक 5 फ़रवरी 2014 एवं दिनांक 31.08.2016 के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिला योजना(5 फ़रवरी 2014) के अंतर्गत प्राप्त वत्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी थी जब क जिला योजना(31 अगस्त 2016) के अंतर्गत प्राप्त वत्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अ धशासी अ भयंता, निर्माण खंड, पौड़ी के द्वारा उतनी ही रा श (`74.43 लाख) प्रा वधकी स्वीकृति 03 दिसम्बर 2016 को प्रदान की गयी थी जिसमे कमी 9 एवं 10 (cross-section-8/0 से 9/20) तक कार्य कराया जाना था जिसका वर्णन राज्य योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी प्रथम तकनीकी स्वीकृति के Bill of quantity में था। प्रपत्र-64 (दिसम्बर 2017) के अनुसार राज्य योजना (जुलाई 2017), जिला योजना (फ़रवरी 2014) एवं जिला योजना (अगस्त 2016) के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष क्रमश `272.89 `54.69 लाख एवं `3.34 लाख यथा कुल `330.92 लाख की रा श व्यय की जा चुकी थी जब क खंड द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्ग पर कुल `327.58 लाख (`272.89 लाख + `54.69 लाख) की रा श व्यय की जा चुकी थी जब क मार्ग पर अभी भी 1.5 कलोमीटर के लंबाई में मार्ग का निर्माण कया जाना शेष और

कार्य प्रगति पर है इस पत्र में यह भी उल्ले खत होता है क मार्ग की वास्त वक लंबाई 14.650 कलोमीटर थी। इस संबंध में यह वदित है क राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त वत्तीय स्वीकृति के अंतर्गत कमी 10.00 एवं कमी 11.00 (क्रॉस-सेक्शन 9/22 से 10/8) के लए दुबारा आं शक तकनीकी स्वीकृति `40.66 लाख की फ़रवरी 2015 में की प्रदान की गयी थी जिसके कारण खंड के पास तकनीकी रूप से `250.79 लाख की रा श उपलब्ध थी परंतु यह पाया गया था क इसी सेक्शन के लए पूर्व में भी इस तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसका वर्णन Bill of quantity में है। इस प्रकार, मार्ग के लए स्वीकृत `210.13लाख की रा श के सापेक्ष `330.92 लाख की रा श व्यय हो चुकी है जब क मार्ग पर कार्य टुकड़ो में प्रारम्भ (जनवरी 2008 से अप्रैल 2014) कया गया था । इसके साथ ही, जिला योजना (अगस्त 2016) के अंतर्गत अभी भी 1.5 कमी लंबाई में कार्य संपादित कराया जा रहा है पुनः सेतु के निर्माण ना कए जाने से अधीक्षण अ भयन्ता के अनुसार मार्ग का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कया जा रहा है। मार्ग की कुल वास्त वक लम्बाई 14.650 कलोमीटर है। इस वास्त वक लंबाई में से 1.5 कमी का जिला योजना (फ़रवरी 2016) से पूर्ण कया गया था जब क 1.5 कमी मार्ग का निर्माण जिला योजना स्वीकृति 31 अगस्त 2016 के अंतर्गत करवाया जा रहा है। इस प्रकार, मार्ग पर मूल स्वीकृति से `272.89लाख तथा जिला योजना से एवं `58.03 लाख जिला योजना से व्यय कया गया था। इस क्रम में Cost Escalation के कारण `210.13 लाख के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्य के Scope of work में बिना कोई परिवर्तन के `120.79 लाख का अतिरिक्त व्यय हो चुका है जब क Scope of work के अंतर्गत सेतु का निर्माण अभी शेष है और इसके लए स्वीकृति के सापेक्ष केवल `64.86 लाख ही शेष जिसमे सेतु निर्माण का कार्य कया जाना संभव नहीं। खंडीय उत्तर के अनुसार सेतु, जिसकी प्राक्कलन बनाई जा रही है, की अनुमानित लागत `450.00 लाख है जिसके लागत में भी Cost Escalation होने की भी संभावना है।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा यह उत्तर दिया गया क राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के अधीन 15.00 में निर्माण कार्य पूर्ण कर लया गया है और 04 गाँव के 250 आबादी को इसकी सु वधा का लाभ मल रहा है। यह भी बतलाया गया क अभी भी स्वीकृति के अधीन `64.86 लाख की रा श अवशेष है।

खंड का उत्तर निर्माण कार्य हुए cost escalation के बिन्दु को संद र्भत नहीं है जब क मार्ग पर कुल तीन योजनाओ के अंतर्गत `210.13 लाख के सापेक्ष `330.92 लाख की रा श व्यय की जा चुकी है और 1.5 कमी पर कार्य संपादित कया जा रहा। सेतु के लए रोक रखी गयी रा श `122.32 लाख में से `64.68 लाख ही शेष है। इस प्रकार कार्य को टुकड़ो में संपादित कए जाने (जनवरी 2008 से अप्रैल 2014) के कारण `120.79 लाख के cost escalation हुए।

अतः निर्माण-कार्य को टुकड़ो में संपादित कए जाने के कारण ना सर्फ निर्माण अव ध में वृद् ध हुई बल्कि निर्माण रा श में भी 57 प्रतिशत की वृद् ध के प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-1 अपूर्ण कार्य:- `478.74 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या:- 1542/III (2) /09-22 (मु0म0)/09/ 31 मार्च 2010 के द्वारा जनपद पौड़ी में दमदेवल-गडरी मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक 27 कलोमीटर के लंबाई में वस्तार के लए `**945.00** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य अ भयन्ता, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक **4477**/12 (130)/याता0/एमएमजी/2012/ दिनांक 27 नवम्बर 2012 के द्वारा 15.575 कलोमीटर के लए `**363.53** लाख एवं पत्रांक 1449/12 (130)/याता0/ एमएमजी/पौड़ी/15 दिनांक 08 जुलाई 2015 के द्वारा सेतु एवं भाग-II के कार्य के लए `**181.23** लाख यथा कुल `**544.78** लाख की प्र व धकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान प्रपत्र-64 के अनुसार दिसम्बर 2017 तक कार्य पर कुल व्यय `**478.74** लाख हुई थी।

अ भलेखों की जांच से होता है क कार्य सम्पादन के लए आवश्यक तकनीकी स्वीकृति, वत्तीय स्वीकृति `**945.00** लाख के सापेक्ष `**544.78** लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य वत्तीय स्वीकृति के सात वर्ष नौ माह के बाद भी वर्तमान (दिसम्बर 2017) में अपूर्ण है और इस पर प्रपत्र-64 (दिसम्बर 2017 तक) के अनुसार कुल `**478.74** लाख की रा श व्यय हो चुकी है। प्रथम आं शक तकनीकी स्वीकृति (नवम्बर 2012), जो की वत्तीय स्वीकृति (मार्च 2010)के दो वर्ष 08 माह पश्चात प्रदान की गयी थी और कार्य तकनीकी स्वीकृति के एक माह पश्चात प्रारम्भ कया गया था। खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना के अनुसार मार्ग के भाग-प्रथम का कार्य द् वतीय आं शक प्रा व धकी स्वीकृति (जुलाई 2015) के पूर्व अप्रैल 2015 में प्रस्ता वत 15.575 कमी के सापेक्ष लगभग 13 कमी में पूर्ण हो चुका था और भाग-II का कार्य भाग-I के अंतर्गत कराये गए 13 कमी के सापेक्ष मात्र 04 कमी पूर्ण हो चुका था तथा 06 कमी कार्य पूर्ण होने संभा वत ति थ अप्रैल/मई 2018 है जब क 04 कमी में भाग-II का कार्य लेखा परीक्षा ति थ तक प्रारम्भ नहीं हुआ था। इस प्रकार, भाग-प्रथम के कार्य पूर्ण होने पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरांत भी 10 कमी में कार्य अपूर्ण है जिसके लए वन-भू म की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुनः 03 कमी (चैनेज 5 से 7) में कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। उपरोक्त तथ्य का ववरण निम्नानुसार है।

चैनेज (कमी में)		1	2	3		4	8	9	10	11		12	13	14	15	16
पार्ट-I के कार्य	प्रारम्भ की तिथ	Jan-13	Jan-13	Jan-13		Jan-13	Jan-15	Oct-14	Jan-13	Nov-12		Nov-12	Nov-12	Nov-12	Nov-12	Dec-12
	समापन की तिथ	Jan-14	Jan-14	Jan-14		Jan-14	Apr-15	Jan-15	Jan-14	Nov-13		Nov-13	Nov-13	Nov-13	Nov-13	Nov-13
पार्ट-II के कार्य	प्रारम्भ की तिथ	Jun-13	Oct-17	Jan-15	Oct-17	Oct-17		Nov-17	Nov-17	Apr-14	Jan-17	Apr-14	Jul-16			
	समापन की तिथ	Oct-13	Apr-18	Jul-15	Apr-18	Apr-18		May-18	May-18	Jul-14	May-18	Jul-14	Apr-17			

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग एक ओर से आठ किमी तथा 3.70 किमी लंबाई में निर्मित है। अवशेष 3.875 किमी लंबाई सिवल सोयम एवं वन भूमि पड़ती है।

खंड का उत्तर तर्क संगत नहीं क्योंकि मार्ग के भाग-प्रथम का कार्य अप्रैल 2015 में प्रस्तावित 15.575 किमी के सापेक्ष लगभग 13 किमी में पूर्ण होने के दो वर्ष छह माह में केवल भाग-II का कार्य भाग-I के अंतर्गत कराये गए 13 किमी के सापेक्ष मात्र 04 किमी पूर्ण किया गया था और शेष 10 किमी में कार्य या तो हो प्रगति में है या फिर आरंभ भी नहीं किया गया है जिसके लिए कोई वन-भूमि की कोई आवश्यकता नहीं थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	19/1988-89	-	1	
2	18/1989-90	-	1	
3	23/1990-91	-	1	
4	31/1992-93	-	1	
5	61/1993-94	-	1	
6	30/1995-96	1	-	
7	27/1996-97	1	-	
8	31/1997-98	1	3	
9	41/1998-99	1	2	
10	61/1999-00	2	-	
11	14/2000-01	1	2	
12	46/2001-02	1	1	
13	37/2002-03	3	1	
14	04/2004-05	1	1	
15	18/2005-06	2	-	
16	23/2006-07	-	2	
17	05/2009-10	1,2	1	
18	50/2010-11	1,2,3	-	
19	63/2011-12	3	1	
20	60/2012-13	1,2,3,4	-	
21	65/2015-16	1	1	
22	98/2016-17	1	1	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			।	-

समस्त अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तरलेख उच्चा धकारियों को प्रे षत कर दिया गयाहै।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री अनुपम सक्सेना	अ धशासी अ भयन्ता	09/10/15 से 22/12/16
(ii)	श्री प्रवीण बहुखण्डी	अ धशासी अ भयन्ता	22/12/2016 से 20/11/2017
(iii)	श्री वी.के.सैनी	अ धशासी अ भयन्ता	20/11/2017 से वर्तमान तक।

(iv) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री एन.एस. रावत
2. श्री के.के.सागर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II